

567
11/11

संख्या-5.166/28-2-09-4/13189

प्रेश,

श्री वागेरदरी द्वारायण श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश,
शिक्षा माध्यमिक अनुभाग,
इलाहाबाद ।

पर्वतीय विकास अनुभाग-2

दिनांक: 21 अक्टूबर, 1989

विषय :- पर्वतीय क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का
इण्टर स्तर पर उच्चरीकरण ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय पर्वतीय क्षेत्र के
संलग्न सूची में उल्लिखित 40 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की वर्तमान
पिंतीय वर्ष 1989-90 में इण्टर मीडियट माध्यमिक तथा निम्न विद्यालयों में
उच्चरीकरण करने की अनुमति प्रदान करने के लिए :-

(संख्या तालिका)

सेक्टर का नाम-राजकीय शिक्षा-संयोजक कोड संख्या-22/220202/09/82

योजना का नाम-राजकीय हाई स्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चरीकरण

योजना के प्रकार-राजकीय योजना

यजद के प्रकार-राजकीय आर्थिक सहायता विधि से अभिन

लेखा कोड-2551-60-103-01-0105

जिला-मैथिलान, अलीगढ़, पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी, चित्तौरी, पाली, उत्तराखंडी

संयुक्त सचिव-

अभिप्रायित अंतराक्षि

उत्तर सचिव-070/60

2- राज्यपाल महोदय उक्त विद्यालयों के संवातकार्य प्रि विद्यालय विभाजित
सिवरण के अनुसार अस्थाई स्को के सुझावों की इच्छा उक्त स्को के ही विधि से
121

28 फरवरी, 1980 तक प्रस्ताव करते हैं यहाँ से पद उभरे। ही यहाँ से वहाँ से समाप्त हो कर दिये जाये।

क्र.सं.	प्रस्तावना	वेतनमान	प्रतिविधायक पदों की संख्या	सृजित होने वाली कुल पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1-	प्रधानाचार्य	₹2200-75-2800	1 ✓	40 वांतीस
2-	प्रवक्ताइण्टर कॉलेज स्नातकोत्तर	₹1600-50-2300- ₹2000-60-2660	9 ✓	360 तीस सौ साठ
3-	वरिष्ठ सहायक	₹1200-30- 1500 2040-30	1 ✓	40 वांतीस
4-	लेब विवरर	₹750-12-870- ₹1014-940	3 ✓	120 एक सौ बीस
14				

3- राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि उक्त राजकीय हाई

स्कूलों में प्रधानाचार्य पद के पद जो वेतन रूम ₹10,770-600 पुनरीक्षित

वेतनमान रुपये 2000-3500 में है, यदि अस्थाई हो तो इस आसनादेश में सृजित

प्रधानाचार्य रुपये 2200-4000 के पद पर अस्थाई नियुक्ति की तिथि से समाप्त

समाप्त जाय। यदि अस्थाई हो तो उसी तिथि से उसे अस्थायी में रखा जाये।

4- उपरोक्त परिभाग-2 में सृजित पदों के कारणों को समय-समय पर

जारी दिये जायेंगे तथा उनका अभाव महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगे

तथा वे पद बिना दिनांक से सम्बन्धित वर्ग में अस्थाई वृद्धि के रूप में माने जायेंगे।

5- उपरोक्त प्रस्तावित राजकीय इण्टर कॉलेजों के संयोजनार्थ राज्यपाल

महोदय प्रति विधायक 62,000 वासठ हजार रुपये मात्र की दर से कुल रुपये

24,80,000 बीस लाख अस्सी हजार निम्नलिखित मदों पर व्यय दिये जाने की

सकीर्ति प्रदान करते हैं:-

1- छात्र-छात्रा निर्माण ₹20,000

2- विज्ञान उपकरणों का खर्च ₹20,000

१.

ਟਿਸ਼ਰੀ

१- राठोगां ० एण्डिया तथार
तैतघा मी । गळोली ।

2- एतच्छ्रुत्वा विचमराडा देवी
॥ देवपुत्रास ॥

३- एतत्तु ० मत्तु ० पि० तैलं मि लभद् ॥ जखो ली ॥

4- रतुडुमायिडुमागराजधार । चिलडी ।
 । धी तिनगर ।

5- टा०ड०मा०वि०जाखणीघार॥
॥जाखणीघार॥

6- रत० उ० मा० वि० म० तृ० धार । प्रतापनगर ।

7- राउडाभांविंरणाकोट नदी नगर।

8- एतच्छ्रुत्वा तदा तदा सुवार्त्तः । ज्ञेयौ तौ ।

9- ए० उ० मा० वि० रैण्ड एमोली

प्रतापनगर

10- रा. 030 मा. 0 पोर [छेत] जाहडी वार

॥- सा०उ०मा०वि०ने उद्घातन कार्य

देहरादून

१- राठोडा विनिशानपुर। रायपुर।

2- ए०उ०भा०वि० दुधली। डोईवाला।

३- राठोडभांणिके लहायाड । तालसी ।

4- रा०३० मा० वि० हरब टपुर । वि० सपुर ।

चमेली

रा० उ० मा० वि० वे० त० लो० ट० गैर सैन्य

2- रा०ड०मा०वि०तपोमब॥ जोशी मठ॥

३- रा०उ० मा० वि० च मकोट। कर्णप्रयाग।

4- रा० क० उ० मा० वि० न रायण बगड

॥ वागेश्वरी नारायण श्रीवास्तव ॥
संयुक्त सचिव ।

॥ वाग्देवरी नारायण श्रीवास्तव ॥
संयुक्त सचिव ॥

संयुक्त सचिव

५०१ रो'छा'ल

प्रेषण

श्रीश्री लाल बारील,
संयुक्त साक्षि,
उपप्रशासना

संख्या ५८३०/२८-२-८४

सेवा में

शिक्षा निदेशक, उपप्रो,
शिक्षा माध्यमिक अनुभाग, छत्तीसगढ़।

21/7/84

पत्राचार विकास अनुभाग-२

उत्तराखण्ड दिनांक १४ जनवरी १९८५

विषय:- स्टी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष १९८४-८५ में पत्राचार क्षेत्र में नया कार्यक्षेत्र प्रस्तावित
महोदय,

उपविभागीय पर संयुक्त शिक्षा निदेशक(पत्राचार) के अतिरिक्त पत्र सं-
२३७२/८४-८५ दिनांक १५ नवम्बर १९८४ के संदर्भ में यह सूचित यह कहने का निदेश हुआ है कि
राज्यपाल महोदय संलग्न-१ में अंकित ३२ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान तथा सांख्यिक
वर्ग में शिक्षा सत्र १९८४-८५ में सीटों को अनुपतिप्रदान करते हैं।

२- राज्यपाल महोदय उक्त कार्यक्षेत्रों के संचालनार्थ प्रत्येक विद्यालय हेतु निम्न
लिखित विवरण के अनुसार अस्थाई पदों की चुनने को भी स्वीकृति इस आसनादेश के दिनांक
या नियुक्तिको तिथि से जो बाद में हो, से २८ फरवरी १९८५ तक यदि ये पद इसके पहले ही
बिना पूर्व सूचना के समाप्त न किये जाये प्रदान करते हैं:-

१-	प्रधानाचार्य-७७०-४०-१०५०५०१०-२३००-६०-१४४०५०१०-६०-१६००	एकपद
२-	सहायक अध्यापक ५४०-२५-६००-२०-६४०५०१०-२०-७६०५०१०-३०-६१०	सातपद
३-	सहायक अध्यापक ४५०-२०-५४०५०१०-२६-६३६५०१०-३६-७००-२०-७२०	पांचपद
४-	लिपिक ३५४-२०-४३५०१०-२०-४५४-२०-५२४५०१०-१२-५५०	एक पद
५-	दफतरी ३१५-६-३५१५०१०-६-३६३-७-३८४-८-४००५०१०-८-४४०	एकपद
६-	कर्मचारी ३०५-५-३३०-५०१०-६-३६०-५०१०-६-३६०	पांचपद
७-	लैबवियर	एकपद

कुल छव्वीस पद

३- परीक्षा-२ में सृजित पदों के पदवारों को समय-समय जारी किया गए -
आसनादेश के अनुसार पहला मंजूर तथा अन्य मंजूर दिये जा रहे हैं।

४- प्रस्तावित राजकीय कार्यक्षेत्रों के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार
कार्यवाही एवं अन्य सांख्यिक कार्य के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष (१९८४-८५)
में १२,३२०,००० (बारह लाख तीस हजार रुपये मात्र) की वनराशि आपके अधिकार में रखी है:-

१- यात्रा-व्यय २००० प्रति विद्यालय

२- कार्यालय आकस्मिक व्यय १५००

अनावर्तक

१- काष्ठीकरण साज सज्जा १५००० प्रति विद्यालय
वाट टारपेराइटर साहकितया अन्य

२- विज्ञापन उपकरणों का व्यय २०००० प्रति विद्यालय

योग ३८५०० प्रति विद्यालय

उपरोक्त अनुरोध का व्यवस्थापन नियमित तथा आदर्श के अनुसार -
किया जाए। कास्टोपकरण एवं विज्ञान साप्ताहिक का क्रय स्टोर परीक्षा के अनुसार किया जाए।

राज्यपाल महोदय इस शासनादेश में स्वीकृत प्रधानाध्यापकों को अपने
विद्यालय से सम्बन्धित व्ययों के लिये वाहरण एवं वितरण अधिकार प्रदान करते हैं।

७- चूंकि प्रश्नगत योजना-व्यय काय-व्यय में उपरोक्त पैरा-४ में उल्लिखित
मर्चा में व्यवहार आवश्यकता की सीमा तक प्राविधान उपलब्ध नहीं है। और व्यवहार आवश्यक एवं
अपरिहार्य है। अतः राज्यपाल महोदय २२ राज्यांश स्कूलों को छोड़ि जाने पर होने वाली अतिरिक्त
व्यय के लिये राज्य वाकस्मिकता निधि से ₹२,३२,००० रु० (बारह लाख बीस हजार रुपये) की
अनुरोध अभिपत्र निकाले जाने की स्वीकृति में प्रदान करते हैं। उक्त अभिपत्र की प्रतिपूर्ति बंद में
अनुपूरक मांगों के माध्यम से की जाएगी।

८- उपरोक्त व्यवस्था प्रथमतः लेखा शीर्षक ८०० राज्य वाकस्मिकता निधि तथा
अन्ततः लेखा शीर्षक २६६ विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र-पर्वतीय क्षेत्र-पर्वतीय क्षेत्र आयोजनाएं
-ग- शिक्षा-क- माध्यमिक शिक्षा-III राजकीय माध्यमिक विद्यालय (V) राजकीय सीनियर
बेसिक स्कूलों को हाईस्कूल स्तर पर क्रमोन्नति तथा नए राजकीय हाईस्कूल खोलना। के नाम
डाला जाएगा।

भवदीय

ह० (बोटे लाल कुरील)
संयुक्त सचिव

वित्त विभाग संख्या - २-॥/सी०ए०/११४४/१६-१६५४

प्रतिलिपि महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा है

(पुष्प कृष्ण मिश्र)
वित्त विभाग

संख्या ५८३७(१) २२-२-१६५४

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- १- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
- २- संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्व०) २६ पाक रीठ लखनऊ।
- ३- जिला विद्यालय निरीक्षक पर्वतीय क्षेत्र
- ४- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक। मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका सुपाय मण्डल नै-
- ५- जिला अन्तर्गत-१२ वित्त व्यवस्था विभाग-॥
- ६- निजी सचिव मुख्य मंत्री जी। पर्वतीय विकास मंत्री जी। उपाध्यक्ष (द्वितीय) पर्वतीय विकास -
- ७- वित्त (आय-व्यय) अन्तर्गत-२

आज्ञा है

ह० (बोटे लाल कुरील)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या - ५८३७। २८-२-८४ दिनांक ----- में स्वीकृत

राजकीय हाईस्कूलों की सूची

बगौली जखत

- २७-राजकीय हाई स्कूल बोरी (ब्लाक आस्तमिनि)
२८- " " उडापांडा (ब्लाक पांखरी)
२९- " " डंगी (ब्लाक थराली)
३०- " " चपकोट-लवाली
३१- " " पाण्डुरेश्वर (ब्लाक जोशीपठ)

गौडी-गढ़वाल

- ३२-रा.हा.स्कूल कटुली (ब्लाक सिर्ही)
३३- " " सक्नीलीताल (ब्लाक पालड़ा)
३४-रा.हा.स्कूल कलवाटी (ब्लाक दुगडडा)
३५-रा.हा.स्कूल विडोली (ब्लाक पार्वी)

टिहरी-गढ़वाल

- ३६-रा.हा.स्कूल नूली (ब्लाक कोतिनगर)
३७- " " मागणी (ब्लाक चम्पा)
३८- " " कनैल नगर (ब्लाक गडौलिया)
३९- " " म्याणी (ब्लाक जौनपुर)

उत्तरकाशी

- ४०-रा.हा.स्कूल ठापडा (ब्लाक नौगांव)
४१- " " सरावी (ब्लाक नौगांव) ✓

पहराडून

- ४२-रा.हा.स्कूल पोया (ब्लाक सहसपुर)

हार्डेट ला डरील
संयुक्त सचिव

प्र. वि. वि.
R
विद्यार्थी विभाग
नयागढ़